रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2000/कार्तिक 26, 1922
No. 750] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2000/KARTIKA 26, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2000

का. आ. 1037 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ तरेप्पनवां संशोधन) नियम, 2000 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 की,-

(1) पहली अनुसूची में,-

(क) " 27. रेल मंत्रालय" शीर्ष के पश्चात, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"27क. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ।";

(ख) " 29ख. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"29ग. पोत परिवहन मंत्रालय ।";

(ग) " 31. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय" और उप-शीर्ष" (i) पोत परिवहन विभाग" और (ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग" का लोप किया जाएगा ;

(2) दूसरी अनुसूची में, -

(क) "रेल मंत्रालय" शीर्ष और उससे संबंधी जोड़ी गई प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

I- निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनूसूची की पहली सूची में आते हैं :

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।
2. सड़क परिवहन का प्रशासन ।
3. संसद् द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग ।

II. संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत :

4. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।
5. नगरपालिका सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न जोन में उच्च द्रुतगामी ट्राम सहित ट्रामवेज ।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान ।
7. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान ।

III. अन्य विषय जिन्हें पिछले भागों में शामिल नहीं किया गया है :

8. केन्द्रीय सड़क निधि ।
9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।

10. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अथवा अंशत: वित्तपोषित संड़क संकर्म जिनके अंतर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट असम और मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कें और सड़क संकर्म नहीं है ।
11. मोटर यान विधायन ।
12. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिताओं का उन्नयन ।
13. गांधीधाम नगरी का विकास ।
14. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का बनाया जाना ।

IV. स्वशासी निकाय :

15. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ।

V. सोसाइटियां / संगम :

16. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ।

VI. पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

17. भारतीय सड़क निर्माण निगम ।

VII. अधिनियम :

18. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।
19. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।
20. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।
21. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।
22. माल बहुविधि परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28) ।";

(ख) "सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

" पोत परिवहन मंत्रालय

I. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की पहली सूची के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।
3. भारतीय पत्तन अधिनियम,1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन ।
4. पोतपरिवहन और नौपरिवहन जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है , जो संसद द्वारा विधि द्वारा, यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं , ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम ।
5. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।
6. मत्स्य ग्रहण जलयान उद्योग ।
7. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्य क्षेत्र की बावत :

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

III. अंडमान व निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में :

9. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच पोत परिवहन सेवा गठन और अनुरक्षण।

IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है :

10. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधायन ।
11. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधायन।
12. डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन ।
13. एफ ओ बी / एफएएस पर कार्गो के आयात तथा लागत और भाड़े/बीमा और भाड़ा लागत आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार / पब्लिक

सेक्टर उपक्रमों / राज्य सरकारों / राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना ।

14. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना ।

V. अधीनस्थ कार्यालय :

15. पोत परिवहन महानिदेशालय ।
16. अंडमान लक्ष्यद्वीप बंदरगाह संकर्म ।
17. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ।
18. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन ।

VI स्वाशासी निकाय :

19. मुंबई , कलकत्ता, कोच्चि, कांडला, चेन्नई, मारमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और न्यू मंगलोर स्थित पत्तन न्यास ।

20. कलकत्ता, काण्डला, चेन्नई, मोरमुगाव और विशाखपट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड।

21. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ।
22. नाविक भविष्य निधि संगठन ।

VII सोसाइटियां / संगम :

23. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान ।
24. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र ।
25. सीफेरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी ।

VIII पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

26. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।
27. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0 ।
28. कोचीन शिपयार्ड लि0 ।
29. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि0 ।

30. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ।

31. हुगली डाक एंड पोर्टस इंजीनियर्स लि0 ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू :

32. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ।

X. अधिनियम :

33. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) ।

34. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) ।

35. डाक कर्मकार(नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9)।

36. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) ।

37. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ।

38. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) ।

39. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) ।''।

के. आर. नारायणन
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2000-मंत्रि.]

वी. के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2000

S. O. 1037(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty - third Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule,-

(A) after the heading "27. Ministry of Railways (Rail Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"27A. Ministry of Road Transport and Highways (Sarak Parivahan aur Raj Marg Mantralaya).";

(B) after the heading "29B. Ministry of Statistics and Programme Implementation (Sankhyiki aur Karyakram Karyanayan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"29C. Ministry of Shipping (Pot Parivahan Mantralaya).";

(C) the heading "31. Ministry of Surface Transport (Jal Bhootal Parivahan Mantralaya)" and sub-headings "(i) Department of Shipping (Pot Parivahan Vibhag)" and (ii) Department of Road Transport and Highways (Sarak Parivahan aur Raj Marg Vibhag)" shall be omitted;

(2) in the Second Scheudle,-

(A) after the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)" and the entries relating thererto, the following heading and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG VIBHAG)

I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Compulsory insurance of motor vehicles.

2. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

3. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

4. Roads other than National Highways.

5. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.

6. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.

7. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

8. Central Road Fund.

9. Coordination and Research pertaining to Road Works.

10. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas in the States of Assam and Meghalaya specified in Parts I and II of the table appended to Paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

11. Motor vehicles legislation.

12. Promotion of Transport Co-operatives in the field of motor transport and inland water transport.

13. Development of townships of Gandhidham.

14. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of roads.

IV. AUTONOMOUS BODIES:

15. National Highways Authority of India.

V. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

16. National Institute of Training for Highway Engineers.

VI. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

17. Indian Road Construction Corporation.

VII. ACTS:

18. The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

19. The National Highway Act, 1956 (48 of 1956).

20. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

21. The National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988).

22. The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993).";

(B) after the heading "MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANAYAN MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be added, namely:-

"MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALYA)

I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.

2. Lighthouses and lightships.

3. Administration of the Indian Ports Act, 1908, (15 of 1908) and the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and ports declared as major ports.

4. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.

5. Ship-building and ship-repair industry.

6. Fishing vessels industry.

7. Floating craft industry.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

8. Inland waterways and traffic thereon.

III. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES OF THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS AND THE LAKSHADWEEP:

9. Organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

IV. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

10. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

11. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.

12. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

13. To make shipping arrangements for and on behalf of the Government of India/Public Sector Undertakings/State Governments/ State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on Free on Board/Free along Site and export on Cost and Freight/CostInsurance and Freight basis.

14. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of ports, shipping and inland waterways.

V. SUBORDINATE OFFICES:

15. Directorate General of Shipping.

16. Andaman Lakshadweep Harbour Works.

17. Directorate General of Lighthouses and Lightships.

18. Minor Ports Survey Organisation.

VI. AUTONOMOUS BODIES:

19. Port Trusts at Mumbai, Calcutta, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru(Nhava Sheva),Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.

20. Dock Labour Boards at Calcutta, Kandla, Chennai, Mormugao and Visakhapatnam.

21. Inland Waterways Authority of India.

22. Seamen's Provident Fund Organisation.

VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

23. National Institute of Port Management.

24. National Ship Design and Research Centre.

25. Seafarers Welfare Fund Society.

VIII.PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

26. Shipping Corporation of India.

27. Hindustan Shipyard Limited.

28. Cochin Shipyard Limited.

29. Central Inland Water Transport Corporation Limited.

30. Dredging Corporation of India.

31. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.

IX. INTERNATIONAL ASPECTS:

32. International Maritime Organisation.

X. ACTS:

33. The Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).

34. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917).

35. The Dock Workers(Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

36. The Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)

37. The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

38. The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).

39. The Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).".

K. R. NARAYANAN
PRESIDENT.

[F. No. 1/22/1/2000-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.